न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

तारीख रजू:–26.09.2023

मु0नं0:– 22 / 2023

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023 / 59

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. रामजीलाल पुत्र मूलचंद जाति रेगर निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. गोकुल पुत्र केसरा रेगर
2. दिलिप पुत्र गोकुल रेगर **(नाम हजफ 28.06.2024)**
3. बदाम पत्नि गोकुल रेगर

निवासीयान भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः:–

वकील प्रार्थी :–श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 व 3 :– श्री कपिल देव महावर, एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 4:–पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः– 10.11.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

❖ प्रार्थी एवं विपक्षीगण 1 लगायत 03 एक ही ग्राम भेडोला तहसील चौथ का बरवाडा के रहने वाले व्यक्ति है।

❖ प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1244 रकबा 0.98 है० एवं प्रार्थी तथा उसकी बहिनो एवं मां की कब्जे काश्त व खातेदारी की संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 1237 रकबा 1.26 है0 ग्राम भेडोला तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है। प्रार्थी की मां का देहान्त हो चुका है। तथा बहिने अपने अपने ससुराल में है। तथा प्रार्थी ही संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1237 व प्रार्थी की तन्हा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1244 पर प्रार्थी ही काबिज हो कर काश्त कर लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:36 IST
Reason: SelfAttested

❖ प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात के पास ही विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.56है0 खसरा नम्बर 1235 / 1421 रकबा 0.65 है० खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.05 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है० ग्राम भेडोला में स्थित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ विपक्षीगण 1 लगायत 03 निहायत ही चालाक एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

❖ विपक्षीगण 1 लगायत 03 प्रार्थी की खातेदारी भूमि को जबरन दबाने लगें तब प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार साहब चौथ का बरवाडा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.06.2023 को पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर खसरा नम्बर 1237, 1244, 1246 का सीमाज्ञान किया है।

❖ प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान हो जाने के बावजूद भी विपक्षीगण 1 लगायत 3 प्रार्थी की भूमि मेड दबाकर जबरन कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1237, 1244 वाके ग्राम भेडोला की पत्थर गढी करवाकर अपनी भूमि को सुरक्षित करना चाहता है।

❖ अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1237 रकबा 1.26है0 व 1244 रकबा 0.98 है० वाके ग्राम भेडोला तहसील चौथ का बरवाडा की पत्थर गढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कि है कि–

➢ प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजीयात की भूमि खसरा नम्बर 1244 रकबा 0.9800 हेक्ट खसरा नम्बर 1237 रकबा 1.2600 हेक्० है ग्राम भेडोला तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित होना स्वीकार है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह दर्शाना कि प्रार्थी अपनी उपरोक्त खाते[illegible] स्वंय काश्त कर लाभप्राप्त करता चला आ रहा [illegible]

➢ प्रार्थना पत्र का मद नं. 03 स्वीकार है प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.5600 हेक्० खसरा नम्बर 1235/1421 रकबा 0.6500 हेक्० खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.0500 हेक्0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.2600 हेक्० वाके ग्राम भेडोला में स्थित है अप्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के चारो तरफ प्रार्थी ने पिछले 15 वर्षो के चीरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

गाडकर कटीले तार लगाकर जाली खींच रखी है और खातेदारी भूमि में कदीमी से सिचाई हेतू कुआं खुदवा रखा है। जिस पर स्वंय काश्त कर लाभप्राप्त करता चला आ रहा है।

➢ विपक्षी गण गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है विपक्षी संख्या 01 लकवा से पीडित व्यक्ति परिवार में मात्र विपक्षी संख्या 03 कमाने वाली महिला प्रार्थी विपक्षीगण को गरीब व कमजोर मानकर जबरदस्ती उसकी खातेदारी भूमि पर लट्ठ के जोर पर कब्जा करना चाहता है ऐसा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है।

➢ प्रार्थी द्वारा दिनांक 27. 06.2023 को तहसीलदार जी चौथ का बरवाडा के आदेश पटवार हल्का द्वारा सीमाज्ञान मौके पर जाकर करना विपक्षीगण की जानकारी में नही है। यदि पटवार हल्का द्वारा द्वारा सीमाज्ञान किया हो तो विपक्षीगण को सूचना दिये बगेर किया है। जबकि मौके पर प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1244 रकबा 0.9800 हेक० खसरा नम्बर 1237 रकबा 1.2600 हेक्त पर आज तक कभी भी कब्जा नही रहा है पटवारी हल्का से साझकर प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवाया है जो बेबुनियाद एवं सरासर गलत है।

➢ प्रार्थना पत्र का मद नं. 06 स्वीकार नही है प्रार्थी विपक्षीगण को कमजोर व असहाय मानकर जबरदस्ती विपक्षी गण के चीरे जाली तोडकर कृषि भूमि को हडपना चाहता है। जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है।

➢ अतः जवाब प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 1835 दिनांक 18.07. 2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

- जमाबंदी वाके ग्राम भेडोला के खसरा नंबर 1237 रकबा [illegible] नीदेवी पत्नी स्व. मूलचंद, रुक्मणी, रामबाई पुत्रियां [illegible] मूलचंद जाति रैगर एवं खसरा नंबर 1244 रकबा 0.98 है। [illegible] मूलचंद जाति–रैगर का नाम अंकित है।

- ग्राम भेडोला के खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.56 है, 1235 / 1421 रकबा 0.65 है. तथा 1236 रकबा 0.05 है० गोकुल पुत्र केसरा जाति रेगर के नाम खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- प्रार्थी के सहखातेदारी खसरा नम्बर 1237 के आंशिक भाग पर गोकुल पुत्र केसरा जाति रेगर निवासी भेडोला द्वारा कब्जा किया हुआ है।

5. बहस बकुलाय सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. स्थायी जमाबंदी दिनांक 17.08.2024 के खाता संख्या 12 के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नंबर 535, 536, 541 व 542 की रिकॉर्डेड खातेदार है। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजीयात के 0.40 है0 पर अप्रार्थी का कब्जा है।

1. इससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1237 के आंशिक भाग पर प्रार्थी का कब्जा है। यदि प्रार्थीगणों को विवादित आराजीयात पर मात्र कब्जे को देखते हुए पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। रही बात कब्जे की तो प्राथीगण इस हेतु सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

2. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>–:आदेश:–</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 22.09.2023 के खसरा नंबर 1237 रकबा 1.26 है0 एवं खसरा नंबर 1244 रकबा 0.98 है0 की उपभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाये। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

(जो... सिंह)

Digitally signed by Jogendra Si...
Date: 2025.11.11 16:26:36 IST
Reason: Self Attested